[2021] 8 एस. सी. आर. 618

निटाबेन दिनेश पटेल

वी.

दीनेश दह्याभाई पटेल

(सिविल अपील सं। 5901-5902 2021 का)

07 अक्टूबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955। 23 ए-तलाक या न्यायिक अलगाव या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कार्यवाही काउंटर राहत के लिए दावा-दायरा-आयोजितः जवाबी दावे के माध्यम से, तलाक या न्यायिक अलगाव के लिए किसी भी कार्यवाही में प्रतिवादी

या वैवाहिक अधिकारों की बहाली जवाबी दावे के माध्यम से राहत के लिए प्रार्थना कर सकती है केवल वही राहत जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रार्थना की जा सकती है और/या दी जा सकती है ऐसी कार्यवाही के लिए प्रतिवादी केवल जवाबी दावे के माध्यम से राहत के लिए प्रार्थना कर सकता है और वह भी बीच में। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी-किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई राहत की प्रार्थना नहीं की जा सकती है-हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत, तलाक, न्यायिक अलगाव आदि की राहत केवल पति और पत्नी के बीच हो सकती है और तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती है। 23 हिंदू विवाह अधिनियम के ए में, पत्नी (मूल प्रतिवादी) के लिए इस प्रभाव की घोषणा करने की अनुमति नहीं थी कि पति (मूल वादी) और तीसरे पक्ष के बीच विवाह अमान्य था-पति-मूल वादी और उक्त तीसरे पक्ष के बीच कथित विवाह से पैदा हुए बेटे के खिलाफ भी जवाबी दावे के माध्यम से कोई राहत नहीं मांगी जा सकती थी।

इस स्थिति में, पत्नी-मूल प्रतिवादी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय एक ठोस मुकदमा दायर करना और/या स्वतंत्र रूप से शुरू करना होगा।

इस तरह की राहत का दावा करने वाली कार्यवाही-अधिक से अधिक, पत्नी-मूल प्रतिवादी जवाबी दावे के माध्यम से राहत का दावा कर सकता था और पति के व्यभिचार के आधार पर तलाक और/या न्यायिक अलगाव के लिए प्रार्थना कर सकता था-कोई भी राहत जो हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती है, जवाबी दावे के माध्यम से दावा नहीं किया जा सकता था।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश VIII, आर. 6 ए-प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा-स्वीकार्यता-आयोजितः यह सच है कि आदेश VIII नियम 6 ए सी. पी. सी. के अनुसार, एक मुकदमे में एक प्रतिवादी, नियम 6 के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, जवाबी दावे के माध्यम से स्थापित कर सकता है।

वादी के दावे के खिलाफ, वादी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव करने से पहले या उसे देने के लिए सीमित समय से पहले प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा।

बचाव पक्ष की अवधि समाप्त हो गई है, चाहे ऐसा प्रति-दावा हर्जाने के दावे की प्रकृति का हो या नहीं- हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-पत्नी (प्रतिवादी) के अनुसार, प्रति-दावे का कारण (पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में) अपना बचाव (लिखित बयान) देने के बाद उपार्जित हुआ था और विशेष रूप से जब वादी (प्रतिवादी-पति) की प्रति-परीक्षा के दौरान किसी अन्य महिला के साथ विवाह के तथ्य को स्वीकार किया गया था और विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था-उच्च

इसलिए, अदालत ने अपीलार्थी-पत्नी (प्रतिवादी)-हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा प्रस्तावित जवाबी दावे की अनुमति देने से इनकार करना उचित नहीं था। 23 ए.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश VI नियम 17, परंतुक

अभिवचनों का संशोधन-आदेश VI नियम 17 के परंतुक के अनुसार प्रतिबंध-जब लागू नहीं होते हैं- आयोजित किए जाते हैंः आदेश VI नियम 17 के परंतुक से यह स्पष्ट है कि संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा

सुनवाई शुरू होने के बाद अनुमति तब तक दी जाती है जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद पक्षकार सुनवाई शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था-इसलिए, यदि कुछ तथ्य बाद में और सुनवाई शुरू होने के बाद संज्ञान में आए हैं, तो सुनवाई के दौरान हो सकता है और यदि यह पाया जाता है कि आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के निष्पक्ष अध्ययन पर पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक है, तो संशोधन के लिए इस तरह के आवेदन को सुनवाई शुरू होने के बाद भी अनुमति दी जा सकती है-याचिकाएं

-

संशोधन।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1 . आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. में संशोधन का प्रावधान है।

दलीलों से। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है (जिसमें शामिल हैं)

लिखित कथन) ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर जो उचित हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो आवश्यक हों।

पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से। आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. 8 एस. सी. आर.

प्रावधान है कि इसके बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी

मुकदमा शुरू हो गया है, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार मुकदमा शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।

इसलिए, अगर कुछ तथ्य ज्ञान में आए हैं

बाद में और मुकदमे के शुरू होने के बाद, मुकदमे के दौरान हो सकता है और यदि यह पाया जाता है कि आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के निष्पक्ष अध्ययन पर पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है, तो संशोधन के लिए इस तरह के आवेदन को मुकदमा शुरू होने के बाद भी अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान मामले में, 14.12.2006 पर वास्तविक विवाह का तथ्य अपीलार्थी पत्नी के संज्ञान में तब आया जब विवाह प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी-पति और तुरंत की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

इसके बाद संशोधन के लिए आवेदन किया गया। इसलिए, और अपीलार्थी की ओर से मामले को देखते हुए, लिखित बयान में इस तरह से अनुरोध किया गया, परिवार न्यायालय संशोधन की अनुमति देने में सही और उचित था। उच्च न्यायालय ने आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान को गलत तरीके से लागू करने में त्रुटि की और

संशोधन को अस्वीकार करने में गलती की। [पैरा 7] [635-बी-डी; 636-ए-डी]

2.1 . अब जहाँ तक संशोधन की मांग की गई है, शामिल करने के लिए

मुकदमा दायर करना लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव देने से पहले या अपना बचाव करने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा जवाबी दावा हर्जाने के दावे की प्रकृति का हो या नहीं। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के अनुसार, जवाबी दावे का कारण अपीलार्थी के बाद उपार्जित हुआ था प्रतिवादी ने अपना बचाव (लिखित बयान) दिया है और विशेष रूप से जब वादी (यहाँ प्रतिवादी) की प्रतिपरीक्षा के दौरान 14.12.2006 पर 'H' के साथ विवाह का तथ्य।

स्वीकार किया गया और विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

इसलिए, उच्च न्यायालय इस आधार पर प्रस्तावित जवाबी दावे की अनुमति देने से इनकार करने में उचित और/या सही नहीं है कि प्रतिवादी के रूप में अपीलार्थी द्वारा लिखित बयान दायर करके अपना बचाव करने के बाद इसकी अनुमति नहीं है। [पैरा 8] [636-डी-एच]

2.2 . हालांकि, जवाबी दावे के माध्यम से, तलाक या न्यायिक अलगाव या बहाली के लिए किसी भी कार्यवाही में प्रतिवादी

वैवाहिक अधिकार प्रतिदावे के माध्यम से राहत के लिए केवल उन राहतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिन्हें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रार्थना की जा सकती है और/या प्रदान किया जा सकता है, अर्थात् धारा 9 के तहत राहत। (वैवाहिक अधिकारों की बहाली); धारा 10 (न्यायिक अलगाव); धारा 11 और 12 (याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह की घोषणा शून्य) और धारा 13 (तलाक)। इसलिए, विचाराधीन कार्यवाही का प्रत्यर्थी इसके लिए प्रार्थना कर सकता है

उपरोक्त राहत केवल जवाबी दावे के माध्यम से और वह भी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच। तीसरे पक्ष से कोई राहत की प्रार्थना नहीं की जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत, तलाक, न्यायिक अलगाव आदि की राहत केवल पति और पत्नी के बीच हो सकती है और तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती है। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के आधार पर, अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी के लिए यह अनुरोध करने के लिए खुला नहीं है

इस प्रभाव की घोषणा कि प्रतिवादी मूल वादी और तीसरे पक्ष-'एच' के बीच विवाह अमान्य है। कोई राहत नहीं मिल सकती

— प्रतिवादी-मूल वादी और तीसरे पक्ष-'एच' के बीच कथित विवाह से पैदा हुए बेटे के खिलाफ भी जवाबी दावे के माध्यम से प्रार्थना की जाए। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय एक ठोस मुकदमा दायर करना और/या ऐसी राहतों का दावा करने वाली स्वतंत्र कार्यवाही शुरू करना होगा। लेकिन

अपीलार्थी के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर तलाक की याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के तहत जवाबी दावे के माध्यम से ऐसी राहत का दावा नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी जवाबी दावे के माध्यम से राहत का दावा कर सकता था और पति के व्यभिचार के आधार पर तलाक और/या न्यायिक अलगाव के लिए प्रार्थना कर सकता था। इसके अलावा, कोई राहत जो हिंदू विवाह के प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती है। अधिनियम का दावा जवाबी दावे के माध्यम से किया जा सकता है। [पैरा 9] [637-एफ-एच; 638-ए-एफ]

आंध्र बैंक बनाम एबीएन अमरो बैंक (2007) 6 एससीसी 167; चंदर कांता बंसल बनाम। राजिंदर सिंह आनंद (2008)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5 एससीसी 117: [2008] 4 एससीआर 748; अब्दुल रहमान बनाम। मोहम्मद. रुल्डू (2012) 11 एस. सी. सी. 341: [2012] 8 एससीआर 922; गुरबख्श सिंह बनाम। बूटा सिंह (2018) 6 एस. सी. सी. 567; अशोक कुमार कालरा बनाम। विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री (2020) 2 एस. सी. सी. 394; अजेंद्रप्रसादजी एन. पांडे बनाम। स्वामी केशवप्रकाशदासजी एन. (2006) 12 एससीसी 1: [2006] 10 पूरक। एससीआर 477; एम. रेवन्ना बनाम। एलआरएस द्वारा अंजनाम्मा (मृत)। (2019) 4 एस. सी. सी. 332; विद्याबाई वी. पद्मलाथा (2009) 2 एससीसी 409: [2008] 17 एससीआर 505 - संदर्भित किया गया। दामोदर वी. उर्मिला, आकाशवाणी 1980 राज। 57 - स्वीकृत किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2007) 6 एससीसी 167

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.12

[2008] 4 एससीआर 748

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.13

[2012] 8 एससीआर 922

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.13

(2018) 6 एस. सी. सी. 567

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.13

(2020) 2 एस. सी. सी. 394

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.116

[2006] 10 पूरक। एससीआर 477

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.5

(2019) 4 एस. सी. सी. 332

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.5

[2008] 17 एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.5

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.59

5902 2021 का

उच्च न्यायालय के 27.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या में अहमदाबाद में गुजरात का। 11379 16101 2018 से।

पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। मिहिर ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री आस्था मेहता, तिरथराज पान

जैमिन दवे, सुश्री विशाखा, सुश्री प्रेमा महापात्रा, सुश्री दीपन प्रियंका, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित कॉम से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27.09.2019 का निर्णय और आदेश निटाबेन दिनेश पटेल बनाम।

दीनेश दह्याभाई पटेल [एम. आर. शाह, जे.]

अहमदाबाद में एस. सी. ए. सं. 11379/2018 और एस. सी. ए. सं. 16101/2018 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने एस. सी. ए. सं. 11379/2018 होने की रिट याचिका को खारिज कर दिया है और एस. सी. ए. सं. <आई. डी. 4 की अनुमति दी है और एस. सी. ए. एन. ओ. में मूल रिट याचिकाकर्ता, पारिवारिक मुकदमा सं. 862/2007 में आवेदन (281 प्रदर्शित करें) के नीचे पारित विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा दिनांकित 8.5.2018 द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और खारिज कर दिया है। 11379/2018 और एस. सी. ए. सं. 16101/2018 में मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह हिंदू संस्कारों के अनुसार 1.3.1987 पर हुआ था। उक्त विवाह में से, उनका एक बच्चा था, जिसका नाम 3.5.1990 पर 'देवाश्य' था। अपीलार्थी भी एक डॉक्टर थी, लेकिन अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि बच्चे के जन्म के बाद उसने डॉक्टर के रूप में काम करना बंद कर दिया और गृहिणी बनी रही। पति और पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और प्रतिवादी पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष 2007 की हिंदू विवाह याचिका संख्या 862 दायर की। विवाह का विघटन, मुख्य रूप से इस आधार पर कि अपीलार्थी-पत्नी क्रूरता का दोषी है। विद्वान परिवार न्यायालय ने नोटिस जारी किया। अपीलार्थी

पत्नी उपस्थित हुई और 11.4.2008 पर जवाब (प्रदर्शन 9) दाखिल किया। प्रतिवादी द्वारा 22.9.2008 पर एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया था-पति (प्रदर्शन 10)। अपीलार्थी ने नवंबर, 2008 के महीने में प्रदर्शनी 13 के रूप में एक हलफनामा-इन-सुर-प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी-पति ने अभिलेख पर साक्ष्य का एक शपथ पत्र भी दाखिल किया। अपीलार्थी-पत्नी के अनुसार, प्रत्यर्थी-पति ने उसे और उनके बेटे को 9.2.2006 पर छोड़ दिया और प्रत्यर्थी-पति ने उसके और उनके लिए भरण-पोषण प्रदान करने से इनकार कर दिया।

बेटा। 2.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी-पत्नी द्वारा दायर लिखित बयान में, अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि प्रतिवादी-पति आज किसी अन्य महिला के साथ सहवास कर रहा है, खुले तौर पर उक्त महिला के साथ घूमता है और उसका परिचय देता है।

उक्त महिला अपनी नई पत्नी के रूप में और न केवल देश में बल्कि उसके साथ विदेश की यात्रा कर रही है। अपीलार्थी-पत्नी की ओर से लिखित बयान में यह मामला था कि चूंकि प्रतिवादी-पति उक्त महिला से शादी करना चाहता है, इसलिए अदालत के समक्ष एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी रखी जाती है। हालाँकि, प्रतिवादी-पति द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, पैरा 20 में इस प्रकार कहा गया है, यह प्रतिवादी-पति की ओर से मामला था कि जहाँ तक सुश्री हिनाबेन मनुभाई पांचाल का संबंध है, उक्त महिला उनके द्वारा संचालित अस्पताल में प्रबंधक हैं और वह [2021] 8 एस. सी. आर. की देखभाल कर रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्पताल और खाते उसकी नौकरी के रूप में, जिसका पक्षों के बीच वर्तमान विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि बाद में उसे पता चला कि प्रत्यर्थी-पति ने उपरोक्त सुश्री हिनाबेन मनुभाई पांचाल से शादी की थी और

उक्त तथ्य को दबाकर, उन्होंने एक आवेदन (प्रदर्शनी 281) दायर किया जिसमें पैरा 35,36 और 37 जोड़कर अपने लिखित बयान में संशोधन की मांग की गई, जो नीचे दिया गया है:

" पैरा No.35: प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुत करता है कि याचिका ने सुदामा रिसॉर्ट, पालदी, अहमदाबाद में 14.12.2006 पर हिनाबेन मनुभाई पांचाल से शादी की। विरोधी ने कहा कि शादी के बाद

याचिकाकर्ता और हिनाबेन के बीच बातचीत के बाद, याचिकाकर्ता ने जुलाई 2007 के महीने में प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने कभी भी माननीय न्यायालय को सूचित नहीं किया

कि उन्होंने हिनाबेन से 14.12.2006 पर शादी की। जब उस समय याचिका दायर की गई थी तो याचिकाकर्ता जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से भौतिक तथ्यों को दबाता है। जब याचिकाकर्ता याचिका की तुलना में याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथ से नहीं आया था

कानून के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इसके अलावा, हिनाबेन के साथ वैवाहिक जीवन के कारण, याचिकाकर्ता का नाजायज बेटा देव है, जो आज याचिकाकर्ता के साथ रह रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि माननीय न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई तलाक नहीं दिया गया है और याचिकाकर्ता के विवाहित होने के बावजूद विरोधी आज जीवित हैं।

हिना पांचाल के साथ, केवल यौन उद्देश्य के लिए। यहां तक कि याचिकाकर्ता हिना के साथ दुनिया के कई स्थानों पर गया और वे इकट्ठा होने के लिए रह रहे थे क्योंकि याचिकाकर्ता ने हिना को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता भारत में कई स्थानों पर गया, या तो हनीमून के उद्देश्य से या आनंद के लिए। याचिकाकर्ता आज व्यभिचार में जीवन जी रहा है इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में तलाक नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, जो व्यक्ति स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आता है, वह न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है। इसलिए दायर की गई याचिका

याचिकाकर्ता को लागत के साथ खारिज करने की आवश्यकता होती है।

प्रतिद्वंद्वी का कहना है कि आज याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच शादी जारी है, किसी भी अदालत द्वारा तलाक नहीं दिया जाता है, भले ही याचिकाकर्ता ने हिना पांचाल से शादी की हो।

14.12.2006 पर।

निटाबेन दिनेश पटेल बनाम। दीनेश दह्याभाई पटेल [एम. आर. शाह, जे.]

शून्य योग्य। इसलिए, वर्तमान जवाबी दावा आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया जाता है। पैरा No.36:

प्रत्यर्थी का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा हिनाबेन पांचाल के साथ विवाह करना प्रत्यर्थी के साथ धोखाधड़ी है और इसलिए वर्तमान मामले में सीमा का प्रावधान लागू नहीं होता है।

प्रतिद्वंद्वी का कहना है कि जवाबी दावे की कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न होता है जब याचिकाकर्ता ने उसके साथ दूसरी शादी की। हिनाबेन मनुभाई पांचाल। याचिकाकर्ता और हिनाबेन के बीच विवाह को अवैध, अमान्य, अमान्य घोषित करने के लिए दिन-प्रतिदिन कार्रवाई जारी है। इसके अलावा कार्रवाई का कारण तब सामने आया जब प्रतिवादी को पता चला कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर हिनाबेन पांचाल के साथ दूसरी शादी करके प्रतिवादी के साथ धोखाधड़ी की है। पहली शादी में भी

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच जारी है। इसके अलावा याचिकाकर्ता और हिनाबेन पांचाल के बीच दूसरे तक जब तक जवाबी दावे की कार्रवाई का कारण जारी नहीं रहता, तब तक अवैध, अमान्य और अमान्य घोषित नहीं किया जाता है। दोनों के बीच हुई शादी

याचिकाकर्ता और हिनाबेन पांचाल अवैध, अमान्य और अमान्य हैं इसलिए वर्तमान जवाबी दावा आवेदन की कार्रवाई का कारण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है।

पैरा No.37:

इसलिए, प्रत्यर्थी प्रार्थना करता है कि, ए। आपका सम्मान वर्तमान काउंटर दावा आवेदन को अनुमति दे सकता है और घोषणा कर सकता है कि याचिकाकर्ता के बीच हिना मनुभाई पांचाल दिनांकित 14.12.2006 के साथ विवाह अवैध, अमान्य और अमान्य है। आगे घोषणा करें कि हिना पांचाल याचिकाकर्ता की कानूनी पत्नी नहीं है और यह भी घोषणा करें कि याचिकाकर्ता

व्यभिचार में हिना पांचाल के साथ रह रहे हैं।

आपका सम्मान घोषित कर सकता है कि पुत्र देव, के माध्यम से पैदा हुआ

बी।

याचिकाकर्ता और हिनाबेन पांचाल का वैवाहिक जीवन अवैध है

याचिकाकर्ता का बच्चा।

आपका सम्मान किसी भी अन्य राहत को प्रदान करता है जो आपके सम्मान को लगता है।

सी.

उचित और उचित।

इस आवेदन की लागत।

डी।

उचित अदालती शुल्क आवेदन पर लगाया जाता है।

ई.

2.2 दिनांक 8.5.2018 के आदेश द्वारा, विद्वान परिवार न्यायालय ने आंशिक रूप से उक्त आवेदन (प्रदर्शनी 281) को अनुमति दी और अपीलार्थी-पत्नी को लिखित बयान में पैरा 35 और 36 को शामिल करने की अनुमति देकर संशोधनों की अनुमति दी और अपीलार्थी-पत्नी को पैरा 37 के अनुसार लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी-पत्नी ने पैरा 37 जोड़कर संशोधन की अनुमति देने के अपने अनुरोध के समर्थन में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के प्रावधानों पर बहुत अधिक भरोसा किया।

2.3 विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर पैरा 37 के संदर्भ में प्रार्थना खंड जोड़ने की उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और

पैरा 37 के संदर्भ में संशोधन की अनुमति देने से इनकार करते हुए, अपीलार्थी पत्नी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एस. सी. ए. सं. 11379/2018 को प्राथमिकता दी। साथ ही, प्रत्यर्थी-पति ने उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित बयान में पैरा 35 और 36 जोड़ने के लिए अपीलार्थी पत्नी को अनुमति देने और/या अनुमति देने वाले विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी चुनौती दी। 16101/2018 . विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-पति की रिट याचिका को एस. सी. ए. संख्या <आई. डी. 1 होने की अनुमति दी है और अपीलार्थी-पत्नी की रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

एस. सी. ए. सं. 11379/2018 इस आधार पर कि इस विलंबित चरण में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले और आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता एक अलग याचिका दायर कर सकता है।

यह घोषणा करने की मांग करने वाला मुकदमा कि प्रतिवादी पति का दूसरा विवाह अमान्य है।

2.4 आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

(281) अपीलार्थी-पत्नी द्वारा वरीयता दी गई और लिखित कथन में पैरा 35,36 और 37 के अनुसार संशोधन की अनुमति नहीं देते हुए, अपीलार्थी-पत्नी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पैरा 37 के संदर्भ में यह घोषित करने के लिए प्रस्तावित प्रार्थना कि प्रतिवादी-पति और हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच दिनांकित दूसरी शादी अवैध, अमान्य और अमान्य है, एक जवाबी दावे के रूप में थी और इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए पर भरोसा किया गया था।

3. श्री पुनीत जैन, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए-पत्नी और श्री मिहिर ठाकुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

सुश्री आस्था मेहता की सहायता से, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-पति की ओर से पेश हुई हैं।

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि दोनों के बीच विवाह

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को 1.3.1987 और एक बच्चे पर सम्मानित किया गया था 'देवाश्य' नामक व्यक्ति का जन्म हुआ।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाह के निर्वाह के दौरान, प्रतिवादी-पति ने हिनाबेन के साथ अवैध संबंध विकसित किए

मनुभाई पांचाल। प्रत्यर्थी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत 6.8.2007 पर एक याचिका दायर की जिसमें उनसे तलाक की मांग की गई।

अपीलार्थी। 14.12.2006 पर उपरोक्त हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ उनकी शादी के बारे में तथ्य को प्रतिवादी-पति द्वारा जानबूझकर दबा दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि

प्रासंगिक समय में हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ प्रत्यर्थी के अवैध संबंधों के तथ्य के बारे में केवल अपीलार्थी को ही पता था और दिनांक 19.6.2008 के लिखित बयान में विशिष्ट प्रस्तुतियाँ/कथन किए गए थे।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी शपथ पत्र में, प्रतिवादी-पति ने विशेष रूप से अवैध होने के आरोपों से इनकार नहीं किया है।

हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ संबंध लेकिन प्रस्तुत किया कि जहाँ तक सुश्री हिनाबेन मनुभाई पांचाल का संबंध है, उक्त महिला उनके द्वारा संचालित अस्पताल में एक प्रबंधक है और वह अस्पताल और खातों की देखभाल कर रही है। 3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब 2008 में जवाबी हलफनामा दायर किया गया था, तो प्रतिवादी-पति ने प्रतिवादी-पति और उक्त हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच 14.12.2006 पर विवाह के तथ्य का खुलासा नहीं किया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रतिवादी के हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ विवाह में प्रवेश करने के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह इस दौरान रिकॉर्ड पर आया था

प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा जिसमें 2017 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि वास्तव में उसने 14.12.2006 पर हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ दूसरी शादी की थी। यहाँ तक कि शादी का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया था

प्रदर्शनी 200 के रूप में रिकॉर्ड करें। यह भी रिकॉर्ड में आया कि प्रतिवादी का उक्त अवैध संबंध से 'देव' नाम का एक बेटा है और उसका जन्म प्रमाण पत्र भी प्रदर्शन 201 के रूप में रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया है।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी संशोधन के लिए आवेदन (प्रदर्शनी 281) प्रस्तुत करने में पूरी तरह से उचित था।

पैरा 37 द्वारा दूसरे विवाह के संबंध में तथ्यों का अभिवचन करने और प्रतिदावे की प्रकृति में राहत प्राप्त करने के लिए पैरा 35 और 36 जोड़ने के लिए लिखित बयान, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने की मांग की गई है कि प्रत्यर्थी और उक्त हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच विवाह अमान्य है और हिनाबेन मनुभाई पांचाल प्रत्यर्थी पति की वैध पत्नी नहीं है और वह उसके साथ व्यभिचार में रह रहा था।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक घोषणा भी मांगी गई थी कि हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ प्रतिवादी से पैदा हुआ बेटा 'देव' एक है

अवैध बच्चा।

3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि विद्वान परिवार न्यायालय ने पैराग्राफ 35 और 36 को जोड़ने की अनुमति देते हुए आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी, लेकिन ऐसा नहीं किया पैरा 37 के संदर्भ में जवाबी दावा जोड़ने/पेश करने के लिए लिखित विवरण में संशोधन की अनुमति दें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 35 और 36 को लागू करने/जोड़ने की अनुमति देने वाले दिनांक 8.5.2018 के आदेश को भी उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा दरकिनार कर दिया गया है।

हिनाबेन मनुभाई पांचाल (तीसरे पक्ष) के साथ प्रत्यर्थी के पति के बारे में अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी, जो तथ्य वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा के दौरान ही सामने आया जब विवाह प्रमाण पत्र (Ex.200) के साथ-साथ प्रत्यर्थी और हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच विवाह से बाहर उसके बेटे 'देव' (Ex.201) का जन्म प्रमाण पत्र पूर्व के रूप में दर्ज किया गया। 201 . 3.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके तुरंत बाद अपीलार्थी ने सुश्री हिनाबेन मनुभाई पांचाल को अभियुक्त बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया।

पक्षकार और लिखित कथन के संशोधन के लिए आवेदन, एक्स। 281. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी को प्रतिवादी और हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच वास्तविक विवाह के बारे में पता चलने के बाद पहले उपलब्ध अवसर पर, जो वर्ष 2017 में सामने आया, आवेदन (पूर्व। 281) दाखिल किया गया था और इसलिए इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी।

3.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने आवेदन को अस्वीकार करने में भौतिक रूप से गलती की है (उदा. 281) इस आधार पर कि एक बार लिखित कथन दायर किए जाने के बाद, प्रतिवादी को लिखित कथन में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने आदेश VIII, नियम 8 और 9 सी. पी. सी. और आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधानों पर भरोसा करने और/या गलत अर्थ लगाने में गलती की है।

लिखित कथन दाखिल करने के बाद अपीलार्थी की जानकारी में आया और इसलिए अपीलार्थी को लिखित में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है। प्रत्यर्थी और हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच वास्तविक विवाह के तथ्य को रिकॉर्ड पर लाने वाला बयान और आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के परंतुक में निहित बार रास्ते में नहीं आएगा और किसी भी मामले में लिखित बयान में संशोधन करने या अतिरिक्त लिखित दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति के साथ इसकी अनुमति दी जा सकती है।

बयान। 3.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत आवेदन (Ex.281) दाखिल करने में कोई देरी नहीं हुई थी।

वास्तविक विवाह का ज्ञान जो प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा के दौरान सामने आया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा विलंब भी लिखित कथन के संशोधन के लिए प्रार्थना से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। रिलायंस को आंध्र बैंक बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। एबीएन एमरो बैंक, (2007) 6 एससीसी 167 (पैरा 5)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी प्रतिवादी और हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच विवाह के ज्ञान के रूप में अवैध संबंध के ज्ञान को मानते हुए एक गलत आधार पर आगे बढ़ा है। 3.13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन की अनुमति देने की शक्ति व्यापक है और इसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए; न्यायालय को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या संशोधन दूसरे पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विद्वान परिवार न्यायालय ने विशेष रूप से पाया है कि संशोधन के कारण प्रतिवादी पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जाएगा। चंदर कांता बंसल बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। राजिंदर सिंह आनंद, (2008) 5 एस. सी. सी. 117 (पैरा 11); अब्दुल रहमान बनाम। मोहम्मद. रुलदू, (2012) 11 एस. सी. सी. 341 (पैरा 11); और गुरबख्श सिंह बनाम। बुटा सिंह, (2018) 6 एस. सी. सी. 567 (पैरा 4 और 5)।

3.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत आवेदन की अनुमति देने या आदेश VIII नियम 6 ए के तहत जवाबी दावा करने के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 35 के माध्यम से संशोधन में उठाए गए आधार और 36 न केवल त्याग और क्रूरता के आरोपों के खिलाफ बचाव की प्रकृति में हैं, बल्कि समर्थन में आवश्यक अभिवचन भी हैं।

3.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पैरा 37 के संदर्भ में मांगी गई राहत भी प्रत्यर्थी के विवाह की घोषणा के लिए जवाबी दावा है। हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ पति को अमान्य और उनके बेटे 'देव' की वैधता के लिए इस निर्विवाद और स्वीकृत तथ्य को देखते हुए परिणामी है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच विवाह अभी भी मौजूद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादी-पति द्वारा दायर वर्तमान कार्यवाही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए एक डिक्री की मांग करती है जो अभी तक तय नहीं हुई है और इसलिए आज तक अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच विवाह मौजूद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए प्रतिवादी और हिनाबेन के बीच विवाह

मनुभाई पांचाल इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (ए) के तहत अवैध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जवाबी दावे में मांगी गई राहत स्वीकार किए गए तथ्यों पर निर्विवाद है और इसे प्रदान करना होगा " एच. एम. ए. की धारा 13 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका के परिणाम के बावजूद। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एच. एम. ए. की धारा 23 ए के अनुसार जवाबी दावा स्वीकार्य है।

3.16 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी जवाबी दावा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण लिखित बयान दाखिल करने के बाद उत्पन्न हुआ है।

और विशेष रूप से प्रत्यर्थी-पति की प्रतिपरीक्षा में कि प्रत्यर्थी ने 14.12.2006 पर हिनाबेन मनुभाई पांचाल से शादी की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए भी जवाबी दावे के माध्यम से पैरा 37 में मांगी गई घोषणा की अनुमति/अनुमति दी जानी चाहिए थी। रिलायंस को अशोक कुमार कालरा बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। विंग कमांडर सुरेंद्र अग्निहोत्री, (2020)

2 एस. सी. सी. 394 (पैरा 12 से 18 और 21)।

3.17 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी एक जवाबी दावा किसी भी मामले में एक स्वतंत्र मुकदमे के रूप में तय किया जाना है और जब तक

मांगी गई राहत अन्यथा सीमा के भीतर है, उसी पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, धारा 13 के तहत याचिका अभी भी एन. आई. टी. ए. बी. एन. दिनेश पटेल बनाम के स्तर पर थी।

दीनेश दह्याभाई पटेल [एम. आर. शाह, जे.]

साक्ष्य, जिसमें अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी को बचाव में साक्ष्य का नेतृत्व करना होता है जो बचाव और जवाबी दावे के लिए सामान्य साक्ष्य का नेतृत्व कर सकता है और प्रतिवादी-पति को खंडन करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि ऐसा है आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यदि आवेदन किया जाता है तो प्रतिवादी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा (उदा. 281) कुल मिलाकर अनुमति है।

3.18 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. प्रतिवादी पति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिहिर ठाकुर ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है। जहां तक पूर्व में पैरा 37 के माध्यम से संशोधन की मांग की गई है। 281 , अर्थात्, घोषणा की मांग की गई है कि प्रतिवादी-पति और हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच विवाह अमान्य है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी प्रार्थना जो जवाबी दावे की प्रकृति में है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए प्रतिवादी को जवाबी दावा करने की अनुमति देती है। यह है।

प्रस्तुत किया कि हालांकि धारा 23 ए के तहत, जवाबी दावे के माध्यम से, सबसे पहले, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के व्यभिचार, क्रूरता या त्याग के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ राहत की मांग कर सकता है और दूसरा, याचिकाकर्ता केवल ऐसी राहत की मांग कर सकता है जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत बनाए रखने योग्य है और अन्यथा नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एच. एम. ए., 1955 के तहत प्रतिवादी केवल धारा 9 से 13 के तहत राहत ले सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए धारा 23 ए के आधार पर, प्रत्यर्थी (इसमें अपीलकर्ता) के लिए यह घोषणा करने का अधिकार नहीं है कि प्रत्यर्थी-पति और तीसरे पक्ष (हिनाबेन मनुभाई पांचाल) के बीच विवाह अमान्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी राहत विशेष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के दायरे में आती है और किसी भी मामले में, यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 से 13 के किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आती है। रिलायंस को दामोदर बनाम के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। उर्मिला, आकाशवाणी 1980 राज। 57 .

4.2 अब जहाँ तक संशोधन की मांग की गई है, अनुच्छेद 35 और 36 में एक्स। 281 आवेदन का संबंध है, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि

इस प्रार्थना को इस आधार पर अस्वीकार किया जाना आवश्यक है कि यह है

आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान द्वारा वर्जित। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार अपीलार्थी-पत्नी को हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ कथित प्रतिवादी पति की दूसरी शादी के तथ्य के बारे में जानकारी थी।

23.03.2007 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी-क्रूस पर पत्नी

Ex.359 के रूप में दर्ज की गई जाँच ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनका [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वकील ने 12.03.2007 पर तथाकथित विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और उन्हें 23.03.2007 पर इसकी प्रति प्रदान की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कथित विवाह प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी होने के बावजूद, उसने प्रतिवादी-पति की हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ कथित विवाह के बारे में उल्लेख नहीं किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी पत्नी के लिए इस तरह के विलंबित चरण में ऐसा आवेदन दायर करना खुला नहीं है।

4.3 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

पति ने निम्नलिखित समय-सीमा पर भरोसा किया है जो उनके अनुसार अनुरोध किए गए संशोधन पर विचार करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है।

Ex.281 आवेदन में अनुच्छेद 35 और 36, जो नीचे दिए गए हैं:

तिथि

आयोजन

2007

2007 का एच. एम. पी. सूट No.862 स्थापित किया गया था

27.03.2007

अपीलार्थी-माना जाता है कि पत्नी ने इसके बारे में ज्ञान अर्जित किया

प्रत्यर्थी का कथित विवाह-पति।

अपीलार्थी-पत्नी ने लिखित बयान दायर किया

11.04.2008

प्रत्यर्थी-पति ने जवाब दाखिल किया

22.09.2008

मसौदा संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया

20.04.2017

यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल वह बल्कि विवादित निर्णय में और

आदेश उच्च न्यायालय इस विशिष्ट निष्कर्ष पर भी पहुँचा है कि अपीलार्थी-पत्नी को 2007 से कथित विवाह के बारे में निश्चित जानकारी थी।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज हम क्रॉस के चरण में हैं

अपीलार्थी-पत्नी की जाँच और इस स्तर पर कार्यवाही में देरी करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसा आवेदन दायर किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का संशोधन आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान द्वारा प्रभावित होता है।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. का प्रावधान

मुकदमा शुरू होने के बाद अभिवचनों के संशोधन के लिए आवेदन को अनुमति देने से वस्तुतः रोकता है, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार मुकदमे के शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था और माना जाता है कि मुकदमा शुरू हो गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि परंतुक किसी भी स्तर पर संशोधन की अनुमति देने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार को कुछ हद तक कम करता है। बोझ।

यह उस व्यक्ति पर है जो एन. आई. टी. ए. बी. ई. एन. डी. आई. एन. एस. एच. पटेल v. के प्रारंभ के बाद संशोधन चाहता है।

दीनेश दह्याभाई पटेल [एम. आर. शाह, जे.]

यह दिखाने के लिए कि उचित परिश्रम के बावजूद, इस तरह का दावा पहले नहीं किया जा सकता था। अजेंद्रप्रसादजी एन. पांडे बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है। स्वामी जी।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21 के आधार पर, सी. पी. सी. के प्रावधान एच. एम. ए. के तहत कार्यवाही पर लागू होते हैं और इसलिए आदेश के लिए प्रावधान। VI नियम 17 सी. पी. सी. लागू होगा।

4.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में।

विवादित फैसले और आदेश से, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है

14.12.2006 और अन्य तथ्यात्मक पहलुओं पर हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ प्रतिवादी के विवाह के तथ्य को दर्ज करने वाला बयान। जहाँ तक पैरा 37 द्वारा मांगे गए संशोधन का संबंध है, वही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 के तहत जवाबी दावे के माध्यम से प्रार्थना को शामिल करने के लिए था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वान परिवार न्यायालय ने आंशिक रूप से आवेदन (Ex.281) की अनुमति दी और पैरा 35 और 36 के अनुसार लिखित कथन में संशोधन की अनुमति दी गई। हालाँकि, पैरा 37 द्वारा मांगे गए संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया। जबकि

अनुच्छेद 37 के तहत किए गए संशोधन को अस्वीकार करते हुए, विद्वान परिवार न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी प्रस्तावित राहत की मांग नहीं कर सकता है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए को देखते हुए, प्रतिवादी केवल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत राहत की मांग कर सकता है।

(तीसरा पक्ष) अवैध, शून्य, अमान्य आदि है और चूंकि अपीलार्थी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई राहत नहीं मांग रही है, इसलिए वह राहत नहीं मांग सकती है। प्रतिदावे के रूप में पैरा 37 में प्रस्तावित। हालाँकि, विवादित [2021] 8 एस. सी. आर. द्वारा।

निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय ने पूरे आवेदन (Ex.281) को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि एक बार लिखित बयान दायर किया जाता है और

मुकदमा शुरू हो गया है, आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित बयान में संशोधन करने के लिए आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और आदेश VIII नियम 6 ए सी. पी. सी. को देखते हुए, प्रतिवादी वादी के खिलाफ पहले या बाद में जवाबी दावे के लिए प्रार्थना कर सकता है। मुकदमा दायर करना लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव (लिखित बयान) देने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले। मुख्य रूप से आदेश VI नियम 17 के तहत प्रतिबंध पर भरोसा करना

6. वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दों पर निर्णय लेते समय, सी. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधान, अर्थात्, आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. और आदेश VIII नियम 6 ए सी. पी. सी. को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैः

" आदेश VI नियम 17

17. दलीलों का संशोधन-न्यायालय किसी भी स्तर पर

कार्यवाहियाँ किसी भी पक्ष को अपनी दलीलों को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देती हैं जो न्यायसंगत हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों।

पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करनाः

बशर्ते कि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्षकार मुकदमे के शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।

आदेश VIII, नियम 6A

6 ए-प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद-(1) एक वाद में एक प्रतिवादी, नियम 6 के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावे के खिलाफ प्रतिवाद के माध्यम से, प्रतिवादी को प्राप्त कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा स्थापित कर सकता है।

वादी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव करने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा जवाबी दावा हर्जाने के दावे की प्रकृति का हो या न होः

बशर्ते कि ऐसा प्रतिदावा धनकोष से अधिक न हो

न्यायालय की अधिकारिता की सीमाएँ।

एक ही मुकदमा, लेकिन मूल दावे पर और जवाबी-दावे पर। (3) वादी को अदालत द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर प्रतिवादी के जवाबी दावे के जवाब में एक लिखित बयान दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(4) प्रतिदावे को एक वाद के रूप में माना जाएगा और इसके द्वारा शासित किया जाएगा -

प्लेनट्स पर लागू होने वाले नियम "।

7. आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. अभिवचनों में संशोधन का प्रावधान करता है। न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अनुमति दे सकता है - उसके अभिवचनों (लिखित कथन सहित) में इस तरह से और ऐसी शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन किया जाएगा जो न्यायसंगत हो, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक हों। आदेश VI नियम का प्रावधान

प्रत्यर्थी और कब विवाह प्रमाण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया था। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शुरुआत से ही, अपीलार्थी की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रतिवादी-पति हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ व्यभिचार में रह रहे हैं और प्रतिवादी-पति द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी-पति ने व्यभिचार के आरोप से इनकार किया और कहा कि हिनाबेन मनुभाई पांचाल उनके द्वारा संचालित अस्पताल में प्रबंधक हैं और वह अस्पताल की देखभाल कर रही हैं। और एक नौकरी के रूप में खाते। हालाँकि, प्रतिवादी-पति ने हिनाबेन मनुभाई पांचाल से 14.12.2006 पर शादी की थी, लेकिन उन्होंने सही और सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और भौतिक तथ्यों को दबा दिया। केवल प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने 14.12.2006 पर हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ शादी को स्वीकार किया और शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान के अनुसार प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. का परंतुक है कि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि देय [2021] 8 एस. सी. आर. के बावजूद।

पार्टी इस मामले को पहले नहीं उठा सकती थी

मुकदमे की शुरुआत। इसलिए, यदि कुछ तथ्य बाद में और मुकदमे के शुरू होने के बाद जानकारी में आए हैं, तो वे मुकदमे के दौरान हो सकते हैं और यदि यह पाया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है। पक्षकार, आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के निष्पक्ष पठन पर, संशोधन के लिए इस तरह के आवेदन को मुकदमा शुरू होने के बाद भी अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 14.12.2006 पर वास्तविक विवाह का तथ्य अपीलार्थी-पत्नी के संज्ञान में तब आया जब विवाह प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी-पति की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया था और उसके तुरंत बाद संशोधन के लिए आवेदन (Ex.281) किया गया था। इसलिए, इस प्रकार, और अपीलार्थी की ओर से मामले को देखते हुए, लिखित बयान में इस प्रकार अनुरोध किया गया, विद्वान परिवार न्यायालय ने मांगे गए संशोधन की अनुमति देने में सही और उचित था

पैरा 35 और 36। उच्च न्यायालय ने आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के प्रावधान को गलत तरीके से लागू करने में त्रुटि की है और आवेदन (Ex.281) में पैरा 35 और 36 के तहत किए गए संशोधन को अस्वीकार करने में त्रुटि की है।

8. अब जहाँ तक Ex.281 आवेदन में पैरा 37 के तहत किए गए संशोधन का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रतिदावे के रूप में था। यह सच है कि आदेश VIII नियम 6 ए सी. पी. सी. के अनुसार, एक वाद में प्रतिवादी, नियम 6 के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावे के खिलाफ जवाबी दावे के माध्यम से, वादी के खिलाफ वादी के खिलाफ कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा स्थापित कर सकता है, या तो मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी के अपना बचाव देने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा जवाबी दावा हर्जाने के दावे की प्रकृति में हो या नहीं। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के अनुसार, जवाबी दावे का कारण था

अपीलार्थी के बाद उपार्जित-प्रतिवादी ने अपना बचाव (लिखित बयान) दिया है और विशेष रूप से जब वादी (यहाँ प्रतिवादी) की प्रतिपरीक्षा के दौरान 14.12.2006 पर हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ विवाह के तथ्य को स्वीकार किया गया था और विवाह

प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इसलिए, उच्च न्यायालय पैरा 37 में प्रस्तावित प्रतिदावे को इस आधार पर अनुमति देने से इनकार करने में उचित और/या सही नहीं है कि प्रतिवादी के रूप में अपीलार्थी द्वारा लिखित बयान दायर करके अपना बचाव करने के बाद इसकी अनुमति नहीं है। उपरोक्त आधार पर, उच्च न्यायालय को पैरा 37 के तहत किए गए संशोधन को खारिज नहीं करना चाहिए था।

हालाँकि, साथ ही, मुख्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी-पत्नी दावा कर सकती थी

राहत ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक विवाह याचिका में जवाबी दावे के माध्यम से पैरा 37 का अनुरोध किया- विवाह को भंग करने के लिए पति?

9. पैरा 37 के अनुसार, अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी ने यह घोषित करने के लिए राहत का प्रस्ताव दिया है कि प्रतिवादी के बीच विवाह-मूल है। 14.12.2006 पर हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ वादी अवैध, अमान्य और अमान्य है और आगे यह घोषणा करने के लिए कि हिनाबेन मनुभाई पांचाल प्रतिवादी-मूल वादी की कानूनी पत्नी नहीं है और यह भी घोषणा करने के लिए कि मूल वादी-प्रतिवादी यहाँ हिनाबेन मनुभाई पांचाल के साथ व्यभिचार में रह रहा है। यह घोषणा करने के लिए भी प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी और हिनाबेन मनुभाई पांचाल के माध्यम से पैदा हुआ बेटा 'देव' प्रतिवादी-मूल वादी की वैध संतान नहीं है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के निष्पक्ष अध्ययन पर, हमें डर है कि हिंदू में जवाबी दावे के माध्यम से मांगी गई राहत

प्रत्यर्थी द्वारा दायर विवाह याचिका का दावा किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए निम्नानुसार हैः

" 23 ए. तलाक और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के लिए राहत-तलाक या न्यायिक अलगाव या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए किसी भी कार्यवाही में, प्रत्यर्थी न केवल याचिकाकर्ता के व्यभिचार, क्रूरता या त्याग के आधार पर मांगी गई राहत का विरोध कर सकता है, बल्कि उस आधार पर इस अधिनियम के तहत किसी भी राहत के लिए जवाबी दावा भी कर सकता है; और यदि याचिकाकर्ता का व्यभिचार, क्रूरता या त्याग साबित हो जाता है, तो अदालत प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के तहत कोई भी राहत दे सकती है, जिसके लिए वह हकदार होता यदि उसने उस आधार पर ऐसी राहत की मांग करने वाली याचिका प्रस्तुत की होती।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के निष्पक्ष अध्ययन पर, तलाक या न्यायिक अलगाव के लिए किसी भी कार्यवाही में प्रतिवादी या वैवाहिक अधिकारों की बहाली, न केवल व्यभिचार, क्रूरता या त्याग के आधार पर मांगी गई राहत का विरोध कर सकती है, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी राहत के लिए जवाबी दावा भी कर सकती है। अर्थात्, याचिकाकर्ता के व्यभिचार, क्रूरता या त्याग के आधार पर और यदि याचिकाकर्ता का व्यभिचार, क्रूरता या त्याग साबित होता है, तो अदालत प्रतिवादी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई राहत दे सकती है, जिसका वह हकदार होता यदि उसने उस आधार पर ऐसी राहत की मांग करने वाली याचिका प्रस्तुत की होती, अर्थात, याचिकाकर्ता के व्यभिचार या क्रूरता के आधार पर तलाक या न्यायिक अलगाव की मांग करना। इसलिए, जवाबी दावे के माध्यम से, तलाक या न्यायिक अलगाव या [2021] 8 एस. सी. आर. के लिए किसी भी कार्यवाही में प्रतिवादी।

दावा और वह भी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच। तीसरे पक्ष से कोई राहत की प्रार्थना नहीं की जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत, तलाक, न्यायिक अलगाव आदि की राहत केवल पति और पत्नी के बीच हो सकती है और तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती है। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के आधार पर, इसमें अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी के लिए इस प्रभाव की घोषणा करने की अनुमति नहीं है कि प्रतिवादी-मूल वादी के बीच विवाह और तीसरा पक्ष-हिनाबेन मनुभाई पांचाल शून्य हैं। प्रतिवादी-मूल वादी और तीसरे पक्ष-हिनाबेन मनुभाई पांचाल के बीच कथित विवाह से पैदा हुए बेटे 'देव' के खिलाफ भी जवाबी दावे के माध्यम से कोई राहत की प्रार्थना नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय एक ठोस मुकदमा दायर करना और/या ऐसी राहतों का दावा करने वाली स्वतंत्र कार्यवाही शुरू करना होगा। लेकिन इस तरह की राहत का दावा अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर तलाक की याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के तहत जवाबी दावे के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, इसमें अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी जवाबी दावे के माध्यम से राहत का दावा कर सकता था और पति के व्यभिचार के आधार पर तलाक और/या न्यायिक अलगाव के लिए प्रार्थना कर सकता था। इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी जाने वाली किसी भी राहत का दावा जवाबी दावे के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।

10. दामोदर (उपरोक्त) और राजस्थान उच्च न्यायालय के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" ..... जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वैवाहिक न्यायालय के पास समुदाय में प्रचलित तथाकथित प्रथा के अनुसार सामुदायिक पंचायत से पति द्वारा प्राप्त कथित तलाक के तथ्य या वैधता में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

सी. पी. सी. की धारा 9 में कहा गया है कि सिविल न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, सिवाय उन मुकदमों के जिनके निटाबेन दीनेश पटेल बनाम.

दीनेश दह्याभाई पटेल [एम. आर. शाह, जे.]

उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो अधिनियम द्वारा शासित एक पीड़ित पति या पत्नी के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली, न्यायिक अलगाव, विवाह की वैधता और तलाक, जैसा भी मामला हो, की डिक्री प्राप्त करने के लिए नए अधिकारों का निर्माण करती है। धारा 9 से 13 एक पीड़ित पति या पत्नी के अधिकारों से संबंधित है -

दूसरे के खिलाफ उचित राहत के लिए आवेदन करें

पति या पत्नी, धारा 19 जो ऐसी मांग के लिए मंच प्रदान करती है

इस धारा में अधिनियम की धारा 9 से 13 के तहत याचिकाओं का स्पष्ट रूप से संदर्भ है। अधिनियम एक घोषणा प्राप्त करने में रुचि रखने वाले जीवनसाथी को राहत देने के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है कि उसने पहले ही सामुदायिक पंचायत से प्रथा या उपयोग के अनुसार विवाह का विघटन प्राप्त कर लिया है और यह कि सहायता विघटन वैध है और दोनों पति या पत्नी के लिए बाध्यकारी है। इसी तरह,

अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे पति या पत्नी को सक्षम बनाया जा सके, जिनके खिलाफ

9 से 18 तक की धाराओं में से किसी के तहत दूसरे पति या पत्नी द्वारा एक याचिका दायर की जाती है, ताकि बचाव में एक याचिका दायर की जा सके कि वह पहले ही सामुदायिक पंचायत से विवाह का विघटन प्राप्त कर चुका है। या पार्टियों को नियंत्रित करने वाली प्रथा के अनुसार, और इसलिए, विवाह अब अस्तित्व में नहीं है। अतः यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अधिनियम जो कुछ वैवाहिक संबंधों से संबंधित है

हिंदुओं के बीच विवादों के लिए कोई प्रावधान नहीं है -

एक दावे या बचाव का निर्णय, कि प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच विवाह पहले से ही जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार की पंचायत जैसे एक निजी मंच के निर्णय के आधार पर भंग हो गया है, जैसा भी मामला हो। इस तरह का निर्णय कर सकता है,

इसलिए, केवल सिविल न्यायालय से प्राप्त किया जाए न कि

अधिनियम के तहत वैवाहिक न्यायालय "।

हम उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं

स्थान उच्च न्यायालय।11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, एन. टी. अपील आंशिक रूप से सफल होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। आदेश [2021] 8 एस. सी. आर. द्वारा पारित किया गया।

आरटी रिपोर्टई. डी. 8.5.2018 आवेदन में पारित (Ex.281)

: यहाँ अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी है

अपीलार्थी द्वारा पैरा 37 द्वारा पैरा 35 और टी के रूप में अनुरोध किया गया दसवां बयान एतद्वारा अपीलार्थी के लिए प्रार्थना के संबंध में कानून के तहत स्वतंत्र मूल वाद और/या कोई अन्य उपचार शुरू करने के लिए खुला है।

उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। मामले की परिस्थितियाँ, वहाँ नहीं होगा

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।